कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

सेवा में, पत्रांक– 1076 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 26 सितम्बर, 2024.

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकला तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 2.03 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
(Online Proposal NO- FP/UK/ROAD/37612/2018)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्र IRO-DDN/FRCM/01/2022/569 दिनांक 02.08.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के सन्दर्भित पत्र दिनांक 02.08.2024 द्वारा आहूत बैठक के FRCM बैठक हुई। कार्यवृत्त के अनुपालन में वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून के पत्रांक– 718/12–1 दिनांक 11.09.2024 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक– 1244/12–1 दिनांक– 09/09/2024 से सूचना वांछित आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित सनगांव–नाहींकला मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक–10/08/2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से श्री राजेश कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री राहुल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता तथा विभाग की ओर से वन क्षेत्राधिकारी, थानों रेंज, विभाग के सम्बन्धित स्टॉफ एवं सनगांव क्षेत्र पंचायत सदस्य स्थानीय ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सनगांव से नाहीकलां तक प्रस्तावित मार्ग के समीप एक पूर्व निर्मित कच्चा मार्ग मौजूद है। परंतु उक्त पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग की ग्रेडिऐन्ट मानकों के अनुरूप नहीं है, इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इतने अधिक ग्रेडिऐन्ट में लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप मोटर मार्ग बनाना संभव नहीं है, पूर्व निर्मित समरेखण पर ही नया मार्ग बनाने हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि भी सहमत नहीं है, इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था/अधिशासी अभियन्ता द्वारा दी गयी आख्या संलग्न की जा रही है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति के दृष्टिगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या :– 1076 /12–1 (दे0दू0) दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

Phone & Fax 0135-2658294,
E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांकः– 718 / 12–1 दिनांक 11 सितम्बर, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून ।

विषयः– मा० मुख्यमंत्री घोषण सं0–15/2017 एवं 512/2017 के अन्तर्गत जनपद, देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकलां तक मार्ग का नव निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।
(Online Proposal no- FP/UK/ROAD/37612/2018)

संदर्भः– क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24/07/2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ0आर0सी0एम0) के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशो का अनुपालन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा जारी कार्यवृत्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 1244/12–1 दिनांक– 09/09/2024 से सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रस्तावित सनगांव–नाहींकला मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक– 10.08.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय प्रयोक्ता एजेन्सी की ओर से श्री राजेश कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री राहुल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, तथा विभाग की ओर से वन क्षेत्राधिकारी, थानों रेंज, विभाग के सम्बन्धित स्टाफ एवं सनगांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य स्थानीय ग्रामीणों के साथ उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सनगांव से नाहीकलां तक प्रस्तावित मार्ग के समीप एक पूर्व निर्मित कच्चा मार्ग मौजूद है। परंतु उक्त पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग की ग्रेडिऐन्ट मानको के अनुरुप नही है, इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इतने अधिक ग्रेडिऐन्ट में लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप मोटर मार्ग बनाना संभव नहीं है, पूर्व निर्मित समरेखण पर ही नया मार्ग बनाने हेतु ग्रामवासी एवं जनप्रतिनिधि भी सहमत नहीं है, इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था/ अधिशासी अभियन्ता द्वारा दी गई आख्या संलग्न की जा रही है।

अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा दी गई आख्या के अनुसार सनगांव से नाहींकला तक कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर ही मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।

पत्रांकः– 718 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,देहरादून।

प्रभारी देहरादून
आ.का.केर।
उ.व.सं./नो०
19-9-24

पंजी० सं० 134
पत्रावली 12-1
दिनांक 24-9-24

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून

पत्रांक : 1244 / 12-1 देहरादून, दिनांक 09 सितम्बर, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– मा0 घोषण सं0–15/2017 एवं 512/2017 के अन्तर्गत जनपद, देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकलां तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश के पत्र संख्या–2413/1सी, दिनांक 07.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र से जारी कार्यवृत्त के अनुपालन में दिनांक 10.08.2024 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा प्रस्तावित सनगांव–नाहींकला मार्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के श्री राजेश कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री राहुल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता, वन क्षेत्राधिकारी, थानों रेंज, वन विभाग के सम्बन्धित स्टाफ, सनगांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित रहें। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सनगांव से नाहीकलां तक प्रस्तावित मार्ग के समीप एक पूर्व निर्मित कच्चा मार्ग मौजूद है। परंतु उक्त पूर्व निर्मित कच्चा मार्ग की ग्रेडिऐन्ट प्रारम्भिक 1.5–2 कि0मी0 तक बहुत ज्यादा है, जिसके विषय में मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि इतने अधिक ग्रेडिऐन्ट में लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप मोटर मार्ग बनाना संभव नहीं है, जिस कारण उक्त मानकों के अनुरूप मार्ग का नया समरेखण किया गया है। इसके पश्चात् यद्यपि पूर्व निर्मित मार्ग की ग्रेडिऐन्ट पूर्व की भांति बहुत ज्यादा नहीं है परंतु मौके पर मौजूद कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि उक्त पूर्व निर्मित मार्ग की ग्रेडिऐन्ट कहीं–कहीं पर छोड़कर अन्य स्थानों पर लोक निर्माण विभाग के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। साथ ही उक्त पूर्व निर्मित मार्ग समरेखण पर ही नया प्रस्तावित मार्ग बनाने हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी सहमति नहीं है, जिसकी पुष्टि मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी की गयी। कार्यदायी संस्था के अधिशासी अभियन्ता के द्वारा इस सम्बन्ध में लिखित पत्र भी दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः उक्त परिस्थितियों को देखते हुए सनगांव से नाहींकला तक कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर ही मार्ग निर्माण की अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहें। आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांकः– / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश (देहरादून)
मानवेन्द्र नगर, निकट रेलवे स्टेशन

UTTARAKHAND

Office of the Executive Engineer, Temporary Division P.W.D. Rishikesh

Phone/Fax No. : 0135-2430660 E-Mail ID :- eetdrksh@rediffmail.com

पत्रांक 2413 / 1 ली   दिनांक 7 / 9 / 2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून.

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 15/2017 एवं 512/2017 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानससभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत सनगांव से नाहीकलां तक मार्ग का नव निर्माण कार्य।

संदर्भ – क्षेत्रीय कार्यालय पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ0आर0सी0एम0) के कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित (एफ0आर0सी0एम0) की बैठक के कार्यवृत्त के अनुपालन में दिनांक 10.08.2024 को वन विभाग, राजस्व विभाग व अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, द्वारा उक्त मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया। अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश की ओर से श्री राजेश कुमार चौहान, सहायक अभियन्ता, श्री राहुल कुमार, अपर सहायक अभियन्ता उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय पाया गया कि गूगल KML मैप पर प्रदर्शित होने वाला दूसरा रास्ता ग्रामीणों द्वारा निर्मित किया गया है जो वन विभाग के फायर के काम भी आता है। उक्त मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें मार्ग की लम्बाई 6.275 किमी0 एवं मार्ग का वर्तमान ग्रेड 1:7, 1:8, 1:16, 1:13, 1:6 पाया गया जो कि लो0नि0वि0 के मानकों के अनुरुप नहीं है, मार्ग पर 14 नं0 एच0पी0 बैण्ड हैं। मार्ग को लो0नि0वि0 के मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरुप बनाने के लिए मार्ग की चौड़ाई बढाते हुये मार्ग की लम्बाई भी बढानी होगी। पूर्व निर्मित मार्ग पर 1:6 के ग्रेडिएन्ट पर 1:20 ग्रेडिएन्ट में परिवर्तन करने पर मार्ग मार्ग का समरेखण बदल जायेगा। इसके विपरीत मार्ग पूर्व में स्वीकृत समरेखण पर किये गये सर्वेक्षण में मार्ग का ग्रेड़ लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार औसतन 1:20 एवं एच0पी0 बैण्ड पर 1:40 रखा गया है जिसमें 8 नं0 एच0पी0बैण्ड का प्राविधान किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त पूर्व निर्मित रास्ते पर मार्ग निर्माण हेतु ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की भी सहमति नहीं है।

अतः आख्या स्वीकृत परियोजना के सापेक्ष सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न – पूर्व में कराया गया समरेखण।
गूगल मैप पर दिखने वाले मार्ग का समरेखण।

ह0

(इं0 भृगुनाथ द्विवेदी)
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

पत्रांक........................./   दिनांक / /2024

प्रतिलिपिः– 1.अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0 देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2.सहायक अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

प्रकृतिः रक्षति रक्षिता
Nature Protects if She is Protected

क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2024 को आयोजित पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (एफ०आर०सी०एम०) के कार्यवृत्त

MINUTES OF THE FORTNIGHTLY REGIONAL COORDINATION MEETING (FRCM) OF REGIONAL OFFICE, MoEF&CC, DEHRADUN HELD ON 24th JULY, 2024

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 तथा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के तहत वन भूमि प्रत्यावर्तन से संबंधित लंबित प्रस्तावों पर चर्चा करने हेतु पाक्षिक क्षेत्रीय समन्वय बैठक (FRCM) दिनांक 24 जुलाई, 2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे श्रीमति नीलिमा शाह (भा०व०से०), सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय) की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, देहरादून के बैठक कक्ष में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी व्यक्तिगत रूप अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे-

Sl.No.	Name	Designation
01	Mr. Santosh Tewari, IFS	Deputy Director General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.
02	Mr. Ranjan Kumar Mishra, IFS	PCCF-cum-Nodal Officer (FCA), Govt. of Uttarakhand
03	Mrs. Neelima Shah, IFS	Assistant Inspector General of Forests, Regional Office, MoEF&CC, Dehradun.

proposals.

2. Is the previous 3 STPs are the part of forest area? if so, what is status of approval under FCA, 1980.
3. DFO shall inspect the area and submit a detailed report for construction of previous three STPs.

Agenda Item No. 06:

Diversion of 2.03 ha of forest Land for Construction of new motor road from Sungaon to Nahikalan in Doiwala in favour of PWD, within the jurisdiction of Dehradun Forest Division, District Dehradun, Uttarakhand (FP/UK/ROAD/37612/2018).

The proposal was discussed in the meeting with the concerned DFO and user agency. The KML file of the proposal was seen. It was observed that there is already a Path seen in the proposed alignment. The user agency informed that observed path is a fire line of Forest Department. Further, the user agency was asked to strengthen that existing fire line to a motorable road. The user agency submitted that the existing fire line is not feasible for road construction in view of gradient.

After detailed discussion, it was decided that the DFO, Dehradun Forest Division shall carry out a joint inspection in view of widening and strengthening the existing fire line to make a motorable road and why not proposed alignment to be avoided.

Agenda Item No. 07:

Diversion of 1.08 ha of forest Land for Construction of Manan to Chandrapur Link Motor road in favour of PWD, within the jurisdiction of Almora Forest Division, District Almora, Uttarakhand (FP/UK/ROAD/151552/2022).

The proposal was discussed with the DFO, Almora Forest Division and the user agency. It was noted that the Stage-I approval (vide letter dt. 04.09.2023) has already been granted in the proposal with felling permission of not more than 97 trees. Now, the State government vide letter dt. 03.07.2024 has asked permission of felling 189 trees which is almost double of the earlier trees proposed to be affected.

After detailed discussion, the State Government shall submit the detailed comparative chart of the 97 and 189 trees comprising of girth wise and species wise details.